राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in,मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in,दूरभाष 0141–2372237

क्रमांक :– एफ 19/साप्र./रा.आ./ दिनांक

परिपत्र

निर्देशानुसार, वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड–2019) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए व उसके बचाव, उपचार व फैलाव पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य आयोग, जयपुर के अधीनस्थ कार्यरत जिला आयोगों द्वारा अत्यंत सीमित संसाधनो से वर्चुअल हियरिंग के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। इस संबंध में राज. उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर एवं इसके अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नियमित रूप से प्रत्यक्ष व वर्चुअल माध्यम से सुनवाई प्रारम्भ की जा चुकी है। (प्रतिलिपि संलग्न है)।

अतः उक्त के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी समस्त परिपत्र/दिशा–निर्देशों को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाकर दिनांक 25.01.2021 से जिला आयोगों द्वारा दिन–प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाहियों, प्रत्यक्ष व वर्चुअल सुनवाई हेतु निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1. समस्त, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में प्रत्यक्ष रूप (Physical Presence) से सभी प्रकार के प्रकरणो की नियमित रूप से अधिवक्तागण/पक्षकारों व संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ सुनवाई की जायेगी।

2. यदि कोई अधिवक्ता या पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई के स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (वर्चुअल) माध्यम से सुनवाई चाहते है तो उन प्रकरणो की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से यथा–वॉट्स अप/जिट्सी ऐप/SkyPe या अन्य उचित माध्यम से की जायेगी व इच्छुक अधिवक्ता/पक्षकार को इस बाबत् 01 कार्य दिवस पूर्व समय 1:00 पी.एम. तक अपने मोबाईल वॉट्स अप नम्बर बताते हुये जिला आयोग के रीडर को आवेदन/ई–मेल के माध्यम से विकल्प देना होगा। वी.सी. सुनवाई हेतु कार्यालय के कम्प्यूटर (All in one)/लेपटॉप या स्मार्ट फोन का उपयोग किया जा सकता है। इस बाबत अध्यक्ष, जिला आयोग अपने विवेक, व्यवहारिकता व उपलब्धतानुसार व्यवस्था संबंधी उचित निर्णय व कार्यवाही कर सकेगें।

3. जिला आयोगों द्वारा समस्त प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी तथा वांछित साक्ष्य

4. स्टॉफ के सदस्य मे फ्लू जैसी बिमारी के लक्षण दिखाई दिये जाने पर वह संबंधित पीठासीन अधिकारी को इसकी तुरन्त सूचना देगा तथा चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर आवश्यक अवकाश ले सकेगा।

5. जिला आयोग परिसर एवं कोर्ट रूम मे अधिवक्तागण/पक्षकारगण एवं अन्य संबंधित के सीमित प्रवेश एवं निकास के संबंध मे आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करनी होगी।

6. जिला आयोग परिसर मे शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू के सेवन एवं परिसर मे थूकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी व्यक्ति द्वारा इनका उल्लंघन किये जाने पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

7. विद्वान अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं अन्य संबंधित से जिला आयोग परिसर मे प्रवेश करने से पूर्व फेस मास्क/फेस शील्ड तथा हैण्ड गलब्ज के प्राथमिकता पूर्व उपयोग की अपेक्षा की जाती है।

8. विधि प्रशिक्षु का जिला आयोग परिसर मे मे प्रवेश पूर्णतयाः निषेध रहेगा।

9. जिला आयोग परिसर मे प्रवेश करने वाले विद्वान अधिवक्तागण, स्टॉफ सदस्य, पक्षकारगण की थर्मल स्क्रेनिंग की जायेगी तथा फ्लू आदि के लक्षण पाये जाने पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार संक्रमित व्यक्ति का जिला आयोग परिसर मे प्रवेश निषेध रहेगा।

10. जिला आयोग परिसर मे केन्टिन, फोटो कॉपी एवं पुस्तक दुकाने तथा ई–मित्र कियोस्क केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/आवश्यक व्यवस्थाओं के अनुसार खुले रहेगें।

11. जिला आयोग परिसर मे व्यवस्थित रूप से सेनेटाईजेशन किया जायेगा तथा हैण्डवॉस और सेनेटाईजर शौचालय मे उपलब्ध कराया जायेगा।

12. बिना मॉस्क के किसी भी व्यक्ति को परिसर मे प्रवेश की अनुमति नही होगी तथा सामाजिक दूरी के संबंध मे केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जायेगी।

13. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा कोविड–2019 के संक्रमण से बचाव के संबंध मे कार्यालयों/कार्यस्थलों हेतु लागू समय–समय पर जारी गाईड–लाईन व निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा ऐसी गाईड–लाईन व निर्देशों को जिला आयोग परिसर मे आमजन की जानकारी के लिये उचित स्थानो पर प्रदर्शित किया जाकर उसका उचित प्रचार–प्रसार किया जावेगा। कोविड–2019 के बचाव के संबंध में जारी दिशा निर्देशो की पालना नही किये जाने पर संबंधित का परिसर में प्रवेश निषेध रहेगा।

14. प्रकरणो की आगामी सुनवाई की दिनांक कॉन्फोनेट confonet.nic.in पर अविलम्ब अपडेट की जावेगी तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाकर स्थानीय अभिभाषक संघ को अवगत करवाया जावेगा।

15. अध्यक्ष, जिला आयोग यह भी सुनिश्चत करेगे कि जो अधिवक्ता, पक्षकार व अन्य संबंधित व्यक्ति उस क्षेत्र मे घोषित कन्टेनमेन्ट जोन व प्रतिबंधित क्षेत्र/कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र मे निवासरत है वे उक्त क्षेत्र मे घोषणा समाप्त होने तक तथा जो कर्मचारी क्वारेन्टाईन/आईसोलेशन मे है उनका पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक जिला आयोग परिसर मे प्रवेश निषेध रहेगा।

sd/-
(बी.एस. पांडिया)
रजिस्ट्रार

क्रमांक :– एफ 19/साप्र./रा.आ./20–31 दिनांक 19-01-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. माननीय न्यायिक/गैर न्यायिक सदस्य, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निजी सहायक, पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर सर्किट बैंच जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर एवं कोटा।
5. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
6. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, (समस्त) राजस्थान।
7. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण बार एसोसियेशन, जयपुर को परिपत्र मे उल्लेखित दिशा–निर्देशों की सम्मानित अधिवक्तागण द्वारा भी पालना सुनिश्चित कराने के अनुरोध के साथ।
8. अध्यक्ष, राज. हाईकोर्ट एड़वोकेट्स एसोसियेशन, जोधपुर को परिपत्र मे उल्लेखित दिशा–निर्देशों की सम्मानित अधिवक्तागण द्वारा भी पालना सुनिश्चित कराने के अनुरोध के साथ।
9. अध्यक्ष, राज. हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसियेशन, जोधपुर को परिपत्र मे उल्लेखित दिशा–निर्देशों की सम्मानित अधिवक्तागण द्वारा भी पालना सुनिश्चित कराने के अनुरोध के साथ।

10. समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण बार एसोसियेशन, राज. को परिपत्र मे उल्लेखित दिशा–निर्देशों की सम्मानित अधिवक्तागण द्वारा भी पालना सुनिश्चित कराने के अनुरोध के साथ।

11. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

12. नोटिस बोर्ड।

19/1/2021

(रजिस्ट्रार)

RAJASTHAN HIGH COURT

No. 01/PI/2021 Date- 08.01.2021

CIRCULAR

Considering the constant decline in Covid-19 positive cases in the entire State, while continuing with all preventive measures for effective control and containment of spread of COVID-19, following fresh directions are issued in supersession of all the previous directions for functioning of Subordinate Courts/ Special Courts/Tribunals from 11.01.2021 onwards till further orders:-

1. All the Subordinate Courts/Special Courts/Tribunals shall start regular functioning with physical presence of learned Advocates, litigants and other concerned stakeholders.

2. The court proceedings may also be conducted through video conferencing by Vidyo/whatsapp/skype/Jitsi/Google Meet or any other suitable video conferencing platform.

3. Hearing and recording of evidence will be started in all types of cases and if the parties fail to comply, appropriate orders as per law may be passed.

4. If any staff member is having flu like symptoms, would immediately inform the concerned Presiding Officer and would take leave as per medical advise.

5. Keeping in view the local conditions, concerned District & Sessions Judges at District Headquarters and senior most judicial officer at Taluka Headquarters would make necessary arrangements for entry and exit of Lawyers, Litigants and others in the court premises and shall take all required steps for limiting the gathering in court rooms and court premises.

6. The consumption of liquor, pan, gutka, tobacco and spitting inside the court premises shall be strictly prohibited and attract prosecution/punishment as per the guidelines of Central/State Government.

7. Learned Advocates, Litigants and other Stake-holders appearing in the

8. Entry of law interns in the court premises would be strictly prohibited.

9. All the gates for entry of Learned Advocates, Staff members and Litigants for entering into the premises be equipped with requisite thermal scanners. The medical staff will permit the persons after proper screening as per the SOP issued by Central and State Government. Persons having flu like symptoms be not allowed to enter the premises.

10. Canteens, Photo Copying shops, Book shops and E-Mitra kiosks may be opened with required protocol/arrangements as prescribed by Central and State Government.

11. Proper sanitization of entire premises must be ensured. Hand-wash and sanitizer shall be provided in toilets and court corridors.

12. No person without mask shall be allowed to enter and move around in the premises. The social distancing as per the guidelines of Central and State Government should be followed in strict manner in the entire premises.

13. Awareness Signage mentioning Do's, Don'ts and Precautions be placed at appropriate places in the court premises. Regular cleaning with sodium hypochlorite and infecticide may be done in the entire premises. All the Public Toilets in court premises should be cleaned at regular intervals with chemicals.

14. Covid-19 Testing of learned Advocates and Court Staff would be continued.

15. All the directions and guidelines issued by the Central/State Government from time to time, as applicable, would be strictly followed.

16. The Committee of one Judicial Officer, Bar President and one senior court staff already constituted shall continue to supervise and monitor the situation on daily basis to ensure strict compliance of the directions for prevention and containment of spread of Covid-19 and to take appropriate remedial steps.

By Order

8.1.2021

REGISTRAR GENERAL

No. Gen./XV/42/2020/61 Date-08.01.2021

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Registrar Cum Principle Secretary to Hon'ble the Chief Justice, Rajasthan High Court.
2. The Private Secretaries to all Hon'ble Judges, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
3. All the District & Sessions Judges with the request to circulate the same amongst all the Presiding Officers of their judgeship.
4. Presiding Officers of all the Special Courts and Tribunals.
5. All the Bar Associations through the concerned District & Sessions Judges.
6. Registrar Classification, Rajasthan High Court, Jodhpur to upload the same on the official website of this office.

8.1.2021

REGISTRAR GENERAL